Date 28-03-2021

सराहनीय कार्य जनपद बिजनौर

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड, 20 बने–अधबने अवैध शस्त्र तथा शस्त्र बनाने के उपकरण सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

आगामी ग्राम पंचायत चुनाव के दृष्टिगत जनपद में अवैध शस्त्रों का निर्माण एवं क्रय विक्रय करने वालों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर आज दिनॉक 28.03.2021 को मण्डावर रोड निर्मल शर्मा औद्योगिक केन्द्र के सामने जंगल ग्राम छछरौली में जग्गू फार्म बन्द पड़ी बिल्डिंग में अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित करते 01 व्यक्ति फरमान को भारी मात्रा में बने शस्त्र 01 रायफल 315 बोर, 01 बन्दूक 12 बोर, 03 तमन्चा 315 बोर, 03 तमन्चा 12 बोर, 03 अधबने तमन्चे, 09 नाल लोहा, 05 कारतूस 12 बोर तथा रेती, छैनी, आरी आदि अन्य शस्त्र बनाने के उपकरण सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध मे थाना को0शहर पर मु0अ0सं0 194/21 धारा 5/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत किया गया। अभि0 थाना नजीबाद का हिस्ट्रीशीटर है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया कि वह काफी समय से अवैध शस्त्रों का निर्माण कर उसका विक्रय करने का काम रहा है। पंचायत चुनाव के चलते अवैध शस्त्रों की मॉग बहुत बढ़ गयी है। इसलिये हम भारी मात्रा मे अवैध शस्त्रों का निर्माण कर रहे थे। अवैध शस्त्र तैयार कर हम रायफल को 30,000 रूपये, बन्दूक 20,000 रूपये तथा तमन्चे को 5,000–10,000 रूपये प्रति के हिसाब से बेच देते है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

1–फरमान पुत्र अकबर निवासी छोटा कुरैशियान निवासी कस्बा जलालाबाद थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

<u>बरामदगी का विवरण</u>

1–01 रायफल 315 बोर
2–01 बन्दूक 12 बोर
3–03 तमन्चा 315 बोर
4–03 तमन्चा 12 बोर
5–12 अधबने तमन्चे
6–05 कारतूस 12 बोर
7– शस्त्र बनाने के अन्य उपकरण आरी, हथौड़ी, रेती आदि

<u>आपराधिक इतिहास अभि0 फरमान उपरोक्तः–</u>

1–मु0अ0सं0 99/15 धारा 41/109 सीआरपीसी थाना नजीबाबाद बिजनौर।
2–मु0अ0सं0 722/16 धारा 3/8 गोवध अधि0 थाना नजीबाबाद बिजनौर।
3–मु0अ0सं0 95/17 धारा 3/5/8 गोवध अधि0 थाना नजीबाबाद बिजनौर।
4–मु0अ0सं0 236/16 धारा 3 (1) गुण्डा अधि0 थाना नजीबाबाद बिजनौर।
5–मु0अ0सं0 362/17 धारा 307/420/468/411/34 भादवि0 थाना नजीबाबाद बिजनौर।
6–मु0अ0सं0 363/17 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना नजीबाबाद बिजनौर।
7–मु0अ0सं0 966/17 धारा 2/3 गैग0 एक्ट थाना नजीबाबाद बिजनौर।
8–मु0अ0सं0 5/18 धारा 269/270 भादवि0 थाना नजीबाबाद बिजनौर।
9–मु0अ0सं0 216/18 धारा 2/3 गैग0 एक्ट थाना नजीबाबाद बिजनौर।
10–मु0अ0सं0 494/19 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना नजीबाबाद बिजनौर।
11–मु0अ0सं0 400/20 धारा 8/20/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना नजीबाबाद बिजनौर।
12– मु0अ0सं0 194/21 धारा 5/25 शस्त्र अधि0 थाना को0शहर बिजनौर।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः–</u>

1–श्री रोधश्याम शर्मा प्रभारी निरीक्षक को0शहर, 2–उ0नि0 श्री योगेश कुमार, 3–उ0नि0 जर्रार हुसैन, 4–कां0 1191 आकाश, 5–कां0 1016 अमित, 6–कां0 969 सचिन, 7–कां0 963 अर्जुन, 8–कां0 69 अरविन्द थाना को0शहर जनपद बिजनौर।

टीम के उत्साहवर्धन हेतु पुरस्कार राशिः 10,000/रूपये

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा लाठी व चाकू से हत्या कारित करने वाले 02 अभियुक्तगण मय आलाकत्ल गिरफ्तार।

दिनांक 26.03.2021 की रात्रि श्री शिवचरन सिहं पुत्र स्व0 हरवंश सिंह निवासी ग्राम मिर्जापुर बेला थाना चांदपुर जनपद बिजनौर द्वारा थाना चॉदपुर पर तहरीर दी कि दिनॉक 26.03.2021 की रात्रि 1. सुधीर पुत्र पुखराज सिहं 2. करूण कुमार पुत्र सुरेन्द्र सिहं 3. खिवेन्द्र सिंह उर्फ लकी पुत्र ऊदल सिंह 4. नरेश कुमार पुत्र कलवा निवासीगण ग्राम मिर्जापुर बेला थाना चांदपुर द्वारा किसी बात को लेकर हुई मारपीट के दौरान लाठी व चाकू से वार कर, उसके पुत्र सौरभ की हत्या कर दी। उक्त सम्बन्ध में तहरीर के आधार पर थाना चॉदपुर पर **मु0अ0सं0 188/2021, धारा 302/307/323/504/34 भादवि0 बनाम उपरोक्त** पंजीकृत किया गया।

मेंरे द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुये टीमें गठित कर थाना चॉदपुर को अभि0गण की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया। आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी चॉदपुर के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनॉक 28.03.2021 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उक्त अभियोग में नामित अभियुक्तगण 1. सुधीर पुत्र पुखराज सिंह 2. खिवेन्द्र सिंह उर्फ लकी पुत्र ऊदल सिंह निवासीगण ग्राम मिर्जापुर बेला थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को ग्राम हरपुर मोड से गिरफ्तार किया गया। अभि0गण की निंशादेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू व लाठी बरामद किया गयी।

अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि हम व मृतक सौरभ उर्फ भीम पुत्र शिवचरन सिंह दोनों एक ही गॉव के रहने वाले है। किसी पुरानी रंजिश को लेकर हम दोनो ने अपने साथी करूण कुमार व नरेश कुमार के साथ मिलकर शराब के नशे में योजनावद्व तरीके से दिनांक 26.03.2021 की रात्रि सौरभ उर्फ भीम व उसके परिवार के लोगों के साथ मारपीट करते हुये लाठी व चाकू से सौरभ पर वार किये जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गयी। सौरभ की मृत्यु के पश्चात हम लोग पुलिस के डर से लाठी व चाकू लेकर जंगल की तरफ भाग गये।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता</u>

1. सुधीर पुत्र पुखराज सिंह निवासीगण ग्राम मिर्जापुर बेला थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
2. खिवेन्द्र सिंह उर्फ लकी पुत्र ऊदल सिह निवासी ग्राम मिर्जापुर बेला थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

<u>अभियुक्तगण से बरादमगी का विवरण</u>

1. एक अदद चाकू
2. एक अदद लाठी

<u>पुलिस टीम का विवरण</u>

1. श्री पंकज तोमर थाना प्रभारी चांदपुर
2. उ0नि0 श्री रोबिल्स कुमार
3. का0 534 सुशील कुमार
4. का0 2344 कुश कुमार

थाना नहटौर पुलिस अवैध शस्त्र व शस्त्र बनाने के उपकरण सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

आगामी ग्राम पंचायत चुनाव के दृष्टिगत जनपद में अवैध शस्त्रों का निर्माण एवं क्रय विक्रय करने वालों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी के कुशल निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी धामपुर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना नहटौर पुलिस की टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मौ0 बाल्मीकि बस्ती के पीछे, तालाब के किनारे आम के बाग से अभियुक्त बन्टी पुत्र रोहताश निवासी मौ0 बाल्मीकि बस्ती कस्बा व थाना नहटौर को 03 बने तमंचे, 02 अधबने तमंचे, 03 जिन्दा कारतूस, 05 नाल व शस्त्र बनाने के उपकरण सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना नहटौर पर मु0अ0सं0 91/21 धारा 3/5/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है तथा नहटौर के मु0अ0सं0 247/20 धारा 379 भादवि में भी वाँछित था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1- बन्टी पुत्र रोहताश निवासी मौ0 बाल्मीकि बस्ती थाना नहटौर जिला बिजनौर।

अभियुक्त बन्टी उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0 40/01 धारा 457/380/411 आईपीसी बिजनौर
2. मु0अ0स0 457/380/411 थाना कोतवाली देहात
3. मु0अ0स0 52/01 धारा 457/380/411 भादवि थाना कोतवाली देहात व
4. मु0अ0स0 355/01 धारा 3(1) गुन्डा एक्ट थाना नहटौर
5. मु0अ0स0 88/04 धारा 110 जी सीआऱपीसी
6. मु0अ0स0 78/08 धारा 110 जी सीआऱपीसी
7. मु0अ0स0 353/08 धारा 376/511
8. मु0अ0स0- 384 /09 धारा 110 जी सीआऱपीसी
9. मु0अ0स0 1372/09 धारा 457/380/411 आईपीसी
10. मुअ0स0 1386/09 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट
11. मु0अ0स0 76/09 धारा 41/109 सीआरपीसी थाना सदर बाजार सहानपुर
12 मु0अ0स0 81/09 धारा 4/25 आर्मस एक्ट
13.मु0अ0स0 1417/09 धारा 3 (1) गैगस्टर एक्ट
14. मु0अ0स0 572ए /10 धारा 330 /324/504 आईपीसी
15. मु0अ0स0 63/11 धारा 18/20 NDPS ACT
16. मु0स0स0 64/11 धारा 4/25 आर्मस एक्ट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1. प्रभारी निरीक्षक श्री जय कुमार सिंह , उ0नि0 श्री बबलू सिंह, उ0नि0 राजेन्द्र सिंह, का0 2082 बिट्टु कंदौल, का0 1635 अरुण खैवाल

थाना स्योहाराः- थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 130/21 धारा 366 आईपीसी से संबंधित अभियुक्त अब्दुल कादिर पुत्र अब्दुल बशीर मोहल्ला मनसूर सराय थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना स्योहाराः- थाना स्योहारा पुलिस द्वारा 1- अंशुल पुत्र चेतराम 2- अभिनव पुत्र शांति सिंह 3- राकेश कुमार पुत्र लल्लू सिंह 4- रोहित पुत्र राजेश निवासीगण मोहल्ला गूंगी सराय थाना स्योहारा जनपद बिजनौर 5- नौशाद पुत्र महमूद हसन मोहल्ला अलाउद्दीनपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर 6- अब्दुल्ला फारूकी पुत्र जयपुर 7- मोहम्मद सुलेमान पुत्र इरफान 8- रिजवान पुत्र मोहम्मद निवासीगण कस्बा सहसपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर सुलेमान को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना अफजलगढः- थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा शाकिर पुत्र अमीर हुसैन निवासी चिरंजीलाल थाना अफजलगढ को एक अवैध तमंचे सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 76/21 धारा 35 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

थाना अफजलगढः- थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा दिनांक 27/28 की रात्रि में चैकिंग के दौरान अभियुक्त राजू पुत्र सावंत सिंह निवासी ग्राम मधुपुरी थाना बढ़ापुर 2- कैलाश पुत्र चतर सिंह निवासी भजन वाला थाना अफजलगढ़ को 150 लीटर कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण सहित गिरफ्तार किया गया ।

थाना नजीबाबादः- थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1- मेघा सिंह पुत्र लाला सिंह निवासी मौ0 मनुपुरा ग्राम बिजौरी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर 2- नौबहार पुत्र मणिराम निवासी मौ0 सुरजापुरी ग्राम बिजौरी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को ग्राम मैदूवाला के जंगल से 01 प्लास्टिक जरीकेन में 20 लीटर कच्ची शराब, 170 लीटर लाहन व शराब बनाने के उपकरण सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 162/21 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

थाना चाँदपुरः- थाना चाँदपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त पवन कुमार पुत्र शीशराम निवासी ग्राम शाहपुर भसौडी थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर को जलीलपुर चौराहे से आई-20 गाडी से 06 पैटी अवैध कच्ची शराब (कुल 276 पव्वे) सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना चाँदपुर पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

जनपद बिजनौर दिनांक 28-03-2021

आज दिनांक **28.03.2021** को जनपदीय एंटी रोमियो टीम प्रभारी द्वारा उ0प्र0 सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा**,** सम्मान एवं स्वालम्बन के लिये **"**मिशन शक्ति**"** के रूप में विशेष अभियान के अन्तर्गत क्षेत्र की महिलाओं व स्कूल/कॉलेज की छात्राओं/बालिकाओं को पंपलेट वितरित कर मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान की गयी महिलाओं/छात्राओ को जागरूक किया और हैल्पलाईन नंबर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** आदि व जनपद के सभी थानो पर खुले महिला हेल्प डेस्क के महत्व के सम्बन्ध में जागरूक किया तथा भीडभाड वाले स्थानो बाजारो में मंचलो पर शिकंजा कसा गया।